रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 17 नवम्बर, 2005/26 कार्तिक, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 नवम्बर, 2005

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6) 34/2005.—भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 26-10-2005 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक

3153-राजपत्र/2005-17-11-2005--1,537 (4535) मूल्य : 1 रुपया।

संख्यांक18) को वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 32 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव (विधि)।

2005 का अधिनियम संख्यांक 32.

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005

(माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 26 अक्तूबर, 2005 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का 18) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह 8 जुलाई, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 का 18 की धारा 3 की उप–धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप–धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:–

"(2–क) उप–धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन सह–भागीदारों को प्रतिवर्तित भूमि का अन्तरण ऐसे सह–भागीदारों द्वारा, ऐसी भूमि के नामान्तरण (इन्तकाल) की तारीख से पच्चीस वर्षों की अवधि के दौरान, विक्रय के रूप में, दान के रूप में, बन्धक के रूप में या अन्यथा नहीं किया जाएगा ।

1908 का 16 (2–ख) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त कोई भी रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज़ को, जो उप–धारा (2–क) के उल्लंघन में है,

रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा, और ऐसा अन्तरण आरम्भ से ही शून्य होगा तथा ऐसे अन्तरण, यदि इसे उप--धारा (2--क) के उल्लंघन में किया गया है, में अन्तर्वलित भूमि समस्त बिल्लगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित होगी ।" ।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 7 का निरसन और व्यावृत्तियां ।

3. (1) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 32 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND UTILIZATION (AMENDMENT) ACT, 2005

(AS ASSENTED TO BY PRESIDENT ON 26TH OCTOBER, 2005)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 8th day of July, 2005.

Amendment of section 3

18 of 1974

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974, after sub-section (2), the following new sub-sections shall be added, namely:—

"(2-a) The land reverted back to co-sharers under clause (d) of sub-section (2) shall not be transferred by such co-sharers, by way of sale, gift, mortgage or otherwise, during a period of twenty five years from the date of mutation of such land.

16 of 1908

(2-b) No Registrar or the Sub-Registrar, appointed under the Registration Act, 1908, shall register any document pertaining to transfer of such land, which is in contravention

of sub-section (2-a) and such transfer shall be void ab initio and the land involved in such transfer, if made in contravention of sub-section (2-a), shall vest in the State Government free from all encumbrances.".

Repeal of Ordinance No.7 of 2005 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।